

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग- 2

संख्या-क0नि0-2-1222 /ग्यारह-9(01)/08-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(21)-2008

लखनऊ :: दिनांक :: 14 मई, 2008

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1021/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(17)-2008 दिनांक 09 अप्रैल, 2008 में,-

अंग्रेजी पाठ में खण्ड(b) के क्रमांक-11 के स्तम्भ-दो में अंकित प्रविष्टि "Articles other than (ornaments) made of rolled gold and imitation gold." के स्थान पर "Articles (other than ornaments) made of rolled gold and imitation gold." पढ़ा जाय।

आज्ञा से,



(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव।